Office Of Joint Director/Fire Officer JABALPUR
JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011762/FNOC/COL/2023/6723

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 12, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Sep-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : MARTHOMA GRAM JYOTI EDUCATION DEVELOPMENT SOCIETY JABALPUR MARTHOMA GRAM JYOTI EDUCATION DEVELOPMENT

आवेदक का पता / Applicant Address : WARD NO. 13 MAALVEEYA WARD, KHITOULA NAGAR PALIKA AREA SIHORA, THE. SEHORA, DISTT. JABALPUR (M.P.) PAT. H. NO. 73/05, R.N.M. KHITOULA, KH. NO.-204/29, 201 AND 202

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 13040 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : WARD NO. 13 MAALVEEYA WARD, KH SIHORA, THE. SEHORA, DISTT. JA 73/05, R.N.M. KHITOULA, KH. NO SIHORA NAGAR PALIKA

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100011762भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / **Remarks-**

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/ बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेतन्टें से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुरओं की जानकारी भी आर्किटेक्टस/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्तागक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्रासु आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यगक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यलवस्थाा करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

Office Of Joint Director/Fire Officer JABALPUR
JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number .	:	6100011762/FNOC/COL/2023/6723
आवेदन की तिथि / Application Date	:	Aug 12, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Sep-23
आवेदक का नाम / Applicant Name	:	MARTHOMA GRAM JYOTI EDUCATION DEVELOPMENT SOCIETY JABALPUR MARTHOMA GRAM JYOTI EDUCATION DEVELOPMENT

2. Wet Riser.

3. Down Comer.

4. Hose Reel.

5. Automatic Sprinkler System.

6. Yard Hydrant.

7. U.G. Tank with Draw off Connection.

8. Terrace Tanks.

9. Fire Pump.

10. Terrace Pump.

11. First Aid Fire Fighting Appliances.

12. Pressurization System.

13. Auto Detection System.

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.

15. P.A. System with talk back facility.

16. Emergency Light.

Office Of Joint Director/Fire Officer JABALPUR
JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100011762/FNOC/COL/2023/6723

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 12, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Sep-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : MARTHOMA GRAM JYOTI EDUCATION DEVELOPMENT SOCIETY JABALPUR MARTHOMA GRAM JYOTI EDUCATION DEVELOPMENT

19. Means of Escape.
20. Compartmentation.
21. MCB/ ELCB.
22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24. Refuge Area.

(2) उपरोक्तu लिखित 24 बिन्दुकओं में से आवश्याक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्नह फायर प्लानि के प्रावधान अनुसार स्थाोपित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्यर आवश्यगक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यगवस्थार करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यानस एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीसकृति से भिन्नय निर्माण/ उपयोग की सक्षम स्वीरकृति लेने हेतु आवेदक स्ववयं उत्तऔरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी । यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीनकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) यह फायर प्लान भवन हेतु प्रस्तावित अग्निशमन एवं निकासी की व्यवस्थाओ को स्थापित करने हेतु स्वीकृत के संबंध में मात्र में है, भवन निर्माण/ उपयोग/ अधिभोग से पूर्व आवेदक को समस्त संबंधित विभागों से सक्षम प्राधिकारियों से समस्त प्रकार की अनुमतियॉं/ अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त फायर प्लान आवेदक व्दारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर है, आवेदक व्दारा प्रस्तुत की गई जानकारियॉं भविष्य में असत्य/ अवैध पाए जाने पर जारी की गई अनापत्ति स्वत: निरस्त मानी जायेगी तथा विभाग व्दारा आवेदक के विरूध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(6) यह प्रमाण पत्र भवन/ परिसर हेतु प्रस्तुत किये गए अग्निशमन रेखांक(FIRE PLAN) की स्वीकृती मात्र होता है, इसके आधार पर किसी भी प्रकार के पंजीकरण, व्यवसाय, उपयोग अथवा अधिभोग की स्वीकृती संबंधित प्राधिकारी व्दारा प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। स्वीकृत अग्निशमन रेखांक(FIRE PLAN) के आधार पर भवन में अग्निशमन उपकरण एवं अन्य आपातकालीन व्यवस्थाएं सथापित किये जाने के उपरांत आवेदक को फायर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात विभागीय अधिकारी व्दारा स्थल निरीक्षण किया जाकर अग्निशमन एवं आपातकालीन व्यवस्थाएं उपयुक्त पाए जाने की दशा में 03 वर्ष की अवधि के लिए 'फायर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

(6) किसी भी प्रकार के पंजीकरण/ अनुज्ञसि हेतु जीवित फायर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा।

(7) आवेदक को फायर अप्रूवल अनापत्ति प्रमाण पत्र में स्वीकृत अग्निशमन उपकरणों को स्थापित कर अग्निशमन उपकरणों की स्थापना की जानकारी फायर सर्टिफिकेट हेतु आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ताकि 'अग्निशमन प्राधिकारी' व्दारा स्थल निरीक्षण करवाए जाने के [illegible] वैधानिक रूप से आवश्यक फायर सर्टिफिकेट जारी किया जा सके, एवं तदोपरांत सक्षम सक्षम प्राधिकारी व्दारा आवेदक को अधिभोग अनुमति [illegible] प्रदाय किया जा सके। आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा एवं स्वीकृत से [illegible] निर्माण/ उपयोग की सक्षम स्वीकृती लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। स्वीकृत अग्निशमन रेखांक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने [illegible] 'अग्निशमन प्राधिकारी' को अवगत करना आवश्यक होगा, अन्यथा प्रदाय की गयी अनापत्ति निरस्त मान्य होगी।

Office Of Joint Director/Fire Officer JABALPUR
JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100011762/FNOC/COL/2023/6723

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 12, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Sep-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : MARTHOMA GRAM JYOTI EDUCATION DEVELOPMENT SOCIETY JABALPUR MARTHOMA GRAM JYOTI EDUCATION DEVELOPMENT

अत: गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तद्नुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

PARMESH JALOTE
Digitally signed by PARMESH JALOTE
Date: 2023.09.01 13:29:10 +05'30'

Joint Director/Fire Officer JABALPUR

JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh

4